

8/12/2022

पत्रावली आज पेरा हुई।
वादी वकील अनुपस्थित।
वादी वकील एवं वादी स्वयं काफी लम्बे समय
से अनुपस्थित।

आज अदालत समय में रुक-रुक कर तीन
बार आवाज दिलवाये जाते थे बावजूद वादी
स्वयं एवं उनके वकील में से कोई उपस्थित नहीं
हुए। अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः
आवाज लगाई गई। फिर भी उनमें से कोई
~~हजरत~~ हाजिर नहीं हुए। इससे जाहीर होला है
कि वादी एवं उनके वकील इस प्रकार में
कोई रुकी नहीं ले रहे हैं।

अतः वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व
आदेश 9 नियम 3 CPC के तहत वाद अदम
हाजरी एवं अदम पंक्ती में खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो

